



**महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय**  
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

**प्रो. कृष्ण कुमार सिंह**  
कार्यकारी कुलसचिव  
**Prof. Krishna Kumar Singh**  
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902  
फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-39 / 2018  
दिनांक : 24.07.2018

### परिपत्र

सक्षम अधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार शोधार्थी/विद्यार्थी से प्राप्त आवेदन, पत्र और उनके अधिकारियों से मिलने के संबंध में निम्नानुसार पद्धति अपनाई जाती है :

1. शोधार्थी/विद्यार्थी से प्राप्त आवेदन, पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता (छात्र कल्याण) या कुलानुशासक के माध्यम से अग्रेषित होना आवश्यक है, ऐसा न होने पर संबंधित कार्यालय में आवेदन, पत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. शोधार्थी/विद्यार्थी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी से मिलने से पहले संबंधित विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता (छात्र कल्याण) या कुलानुशासक से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। अधिष्ठाता (छात्र कल्याण) या कुलानुशासक के पास समस्या का समाधान न होने पर ही उनकी संस्तुति के साथ कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी से मिलें।
3. कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी से मिलने आनेवाले शोधार्थी/विद्यार्थी अधिकारी से मिलने से पहले अपने-अपने मोबाइल संबंधित अधिकारी के सचिवालय में जमा करें और मिलने के बाद अपना ही मोबाइल सचिवालय से प्राप्त करें।
4. कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी कार्यालय शोधार्थियों/विद्यार्थियों से प्राप्त मोबाइल के रखरखाव के लिए रजिस्टर रखेंगे जिसमें मोबाइल प्राप्ति और निर्गत करने की इन्ट्री होगी।

  
(कुलसचिव)

प्रति : समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक (ईमेल द्वारा इस अनुरोध के साथ कि विभागीय सूचना पट्ट पर चरमा करें)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. वित्त विभाग
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
5. कुलानुशासक
6. प्रभारी, अकादमिक विभाग
7. समस्त छात्रावास अधीक्षक (ईमेल द्वारा इस अनुरोध के साथ कि सूचना पट्ट पर चरमा करें)

